By Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. PSP/10/2017/MPNG1/SEOTH/RU-I Date: 04/06/2018

To

The Chairman,
Indian Oil Corporation Ltd.,
3079/3 JB Tito Marg,
Sadiq Nagar,
New Delhi – 110049.
Tel: 26260202, 26260000.
Email: chairman@indianoil.in

Sub: Representation dated 12/07/2017 received from Shri Pramod Singh Porte, M/s. Maa Pitambera Service Station, Goraghat, District - Datiya, Madhya Pradesh regarding permission to sale diesel Petrol from Petrol Pump.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of the minutes of Sitting held in the National Commission for Scheduled Tribes on 28/05/2018 at 4:00 P.M. under the Chairmanship of Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes in the matter.

It is, requested that action taken on the suggestions / recommendations of the Commission may please be sent to the NCST at the earliest.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(S. P. Meena)
Assistant Director
Tel: 24641640

Copy to:

Shri Pramod Singh Porte,
M/s Maa Pitambera Service Station,
Goraghat,
District - Datiya,
(Madhya Pradesh).

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. NIC (for hosting on Commission's website)

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- PSP/10/2017/MPNG1/SEOTH/RU-I)

श्री प्रमोद सिंह पोर्ते का अनुसूचित जनजाति वर्ग मे प्राप्त इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के पेट्रोल पंप की डीलरशिप निरस्त करने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 28.05.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 28.05.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री प्रमोद सिंह पोर्ते ने अनुसूचित जनजाति वर्ग मे प्राप्त इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के पेट्रोल पंप की डीलरशिप दुर्भावनावश निरस्त किए जाने के मामले मे दिनांक 12.07.2017 को आयोग में अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया.
2. अभ्यावेदक ने आवेदन मे लिखा कि उन्हे अनुसूचित जनजाति वर्ग मे इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के पेट्रोल पंप की डीलरशिप प्राप्त हुई है। दिनांक 22.11.2016 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के कुछ अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदक की अनुपस्थिति मे डीजल पेट्रोल का नमूना जांच हेतु लिया गया था। इसके जांचोपरांत नमूने को मानक स्तर का नही होना बताकर दिनांक 13.12.2016 से पेट्रोल पंप को विक्रय अधिकारी इंडियन ऑयल कार्पोरेशनलि. ग्वालियर द्वारा बंद कर दिया गया है। अभ्यावेदक का आरोप है कि इस प्रकार विधिक प्रतिनिधि की अनुपस्थिति मे नमूना ले जा कर मानक स्तर का नही होना बताया जा रहा है साथ ही इस आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है,

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

यह न्यायसंगत नही है। उन्होने आगे यह भी उल्लेख किया है कि उनके पंप का डीजल सही है, क्योंकि डीजल की रेफरेंस डेनसिटी और वास्तविक डेनसिटी मे अंतर नही आया है। मात्र डीजल नमूने मे सल्फर की मात्रा बढ़ रही है। उन्होने यह आशंका व्यक्त की है कि इसका कारण नमूने जिन एल्यूमिनियम कंटेनरों मे ली गई है उनकी सफाई सही तरीके से नही होने के कारण भी सल्फर की मात्रा बढ़ी हो सकती है।

3. अभ्यावेदक के मामले में विचार करते हुये आयोग ने दिनांक 06.02.2018 को एक नोटिस भेजकर अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा।
4. आयोग के नोटिस के प्रत्युत्तर मे महाप्रबंधक, रिटेल सेल, एचओ, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. का दिनांक 16.02.2018 का पत्र प्राप्त हुआ।
5. आयोग ने अभ्यावेदक को महाप्रबंधक, रिटेल सेल, एचओ, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के दिनांक 16.02.2018 को प्रेषित पत्र से अवगत कराया।
6. अभ्यावेदक श्री प्रमोद सिंह पोर्ते ने दिनांक 03.01.2018 को आयोग मे उपस्थित होकर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के दिनांक 16.02.2018 को प्रेषित पत्र के उत्तर से असंतुष्टि जाहिर करते हुए रिज्वाइंडर प्रस्तुत किया। आयोग ने इस पर दिनांक 28.02.2018 को एक नोटिस जारी कर अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. को इस मामले मे दिनांक 14.03.2018 को चर्चा के लिए आयोग में बुलाया।
7. आयोग ने मामले की सुनवाई के पश्चात जो अनुशंसा की थी उसके अनुपालन के संबंध मे महाप्रबंधक (रिटेल सेल) के द्वारा दिनांक 10.05.2018 को प्रेषित पत्र आयोग को प्राप्त हुआ। पत्र मे उन्होने जो सूचना उपलब्ध कराई थी उससे अभ्यावेदक संतुष्ट नही हुये और इस मामले मे दिनांक 16.05.2018 को एक आवेदन देकर आयोग से न्याय दिलाने का पुनः निवेदन किया। इसमे उन्होने यह भी उल्लेख किया कि दिनांक 13.12.2016 से पूर्व इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. को डीजल पेट्रोल क्रय करने के लिए कुल 7,50,000 रुपये का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया। किन्तु पेट्रोल पंप बंद होने होने के कारण उक्त राशि का पेट्रोल व डीजल प्राप्त नही हुआ तथा यह पैसा इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के पास ही जमा है। उन्होने उक्त राशि भी उन्हे वापस कराने का निवेदन

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

किया। उन्होंने आयोग को अवगत कराया कि दिनांक 14.12.2017 को उन्हें इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमे एक माह के अन्दर अपील करने के लिए कहा गया था. इसके प्रत्युत्तर में अभ्यावेदक ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के निदेशक (मानव संसाधन) सादिक नगर को अपनी अपील दिनांक 10.01.2018 को कर दी. इसके पश्चात इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. का दिनांक 06.02.2018 का एक और पत्र उन्हें प्राप्त हुआ जिसमे निदेशक (अनुसंधान और विकास) फरीदाबाद को अपील करने को कहा गया. इसके बाद अभ्यावेदक ने पुनः दिनांक 07.02.2018 को निदेशक (अनुसंधान और विकास) फरीदाबाद को अपील भेज दी.

8. आयोग ने दिनांक 18.05.2018 को एक नोटिस जारी कर अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. को इस मामले मे दिनांक 28.05.2018को चर्चा के लिए आयोग में बुलाया।

9. दिनांक 28.05.2018 को चर्चा के लिए अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. की जगह मुख्य महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश और महाप्रबंधक (रिटेल सेल) उपस्थित हुये।

10. आयोग ने इस मामले मे अभ्यावेदक को अपना पक्ष रखने को कहा। अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया कि उन्हे अनुसूचित जनजाति वर्ग मे इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के पेट्रोल पंप की डीलरशिप प्राप्त हुई है। दिनांक 22.11.2016 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के कुछ अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदक की अनुपस्थिति मे डीजल पेट्रोल का नमूना जांच हेतु लिया गया था। इसके जांचोपरांत नमूने को मानक स्तर का नही होना बताकर दिनांक 13.12.2016 से पेट्रोल पंप को विक्रय अधिकारी इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. ग्वालियर द्वारा बंद कर दिया गया है। अभ्यावेदक का आरोप है कि इस प्रकार विधिक प्रतिनिधि की अनुपस्थिति मे नमूना ले जा कर मानक स्तर का नही होना बताया जा रहा है साथ ही इस आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, यह न्यायसंगत नही है। उन्होने आगे यह भी उल्लेख किया है कि उनके पंप का डीजल सही है, क्योंकि डीजल की रेफरेंस डेनसिटी और वास्तविक डेनसिटी मे अंतर नही आया है। मात्र डीजल नमूने मे सल्फर की मात्रा बढ़ रही है। उन्होने यह आशंका व्यक्त की है कि इसका कारण नमूने जिन एल्यूमिनियम कंटेनरों मे ली गई है उनकी सफाई सही तरीके से

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

नही होने के कारण भी सल्फर की मात्रा बढ़ी हो सकती है। उन्होने यह भी उल्लेख किया कि दिनांक 13.12.2016 से पूर्व इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. को डीजल पेट्रोल क्रय करने के लिए कुल 7,50,000 रुपये का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया। किन्तु पेट्रोल पंप बंद होने होने के कारण उक्त राशि का पेट्रोल व डीजल प्राप्त नही हुआ तथा यह पैसा इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के पास ही जमा है। उन्होने उक्त राशि भी उन्हे वापस कराने का निवेदन किया। उन्होंने आयोग को अवगत कराया कि दिनांक 14.12.2017 को उन्हें इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमे एक माह के अन्दर अपील करने के लिए कहा गया था. इसके प्रत्युत्तर में अभ्यावेदक ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के निदेशक (मानव संसाधन) सादिक नगर को अपनी अपील दिनांक 10.01.2018 को कर दी. इसके पश्चात इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. का दिनांक 06.02.2018 का एक और पत्र उन्हें प्राप्त हुआ जिसमे निदेशक (अनुसंधान और विकास) फरीदाबाद को अपील करने को कहा गया. इसके बाद अभ्यावेदक ने पुनः दिनांक 07.02.2018 को निदेशक (अनुसंधान और विकास) फरीदाबाद को अपील भेज दी.

11. आयोग ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण मांगा इस पर मुख्य महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश ने उल्लेख किया कि अभ्यावेदक के पेट्रोल पंप से दो सदस्यीय समिति के द्वारा नमूने लिए गए थे जिसे परीक्षण के लिए भेजा गया जहां नमूने मे सल्फर की मात्रा मानक से अधिक पाई गई। अभ्यावेदक के अनुरोध पर दुबारा परीक्षण किया गया उसमे भी नमूने परीक्षण पर खरे नही उतरे। इसके आधार पर दिनांक 02.02.2017 को अभ्यावेदक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।इसके साथ ही अभ्यावेदक को व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया और दिनांक 15.06.2017 को प्राधिकृत अधिकारी के पास बुलाया गया। कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अभ्यावेदक के जवाब इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. संतोषजनक नही पाये गए। इस कारण मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन एमडीजी-2012 तथा डीलरशिप एग्रीमेंट के प्रावधानों के तहत इनकी डीलरशिप दिनांक 14.12.2017 से निरस्त की गई। किन्तु इनकी डीलरशिप पुनः बहाल करने के लिए आवेदक ने निदेशक (अनुसंधान

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

एवं विकास) के पास अपील की है और इसके लिए अपीलीय अधिकारी ने अभ्यावेदक को दिनांक 05.06.2018 को सुनवाई के लिए बुलाया है। इसमे इनका पक्ष सुनकर इसका निर्णयन किया जाना है। अभ्यावेदक द्वारा कुल 7,50,000 रुपये के भुगतान के विषय मे मुख्य महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश ने आयोग को अवगत कराया कि इसकी जांच कर वह राशि शीघ्र वापस कर दी जाएगी।

12. सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की:-

i. अभ्यावेदक द्वारा अपील फरवरी माह में की गई जबकि सुनवाई तिथि जून में रखी गई है, इतना विलंब क्यों किया गया? इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. इस मामले में आयोग को स्पष्टीकरण भेजे. साथ ही चूंकि अभ्यावेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का गरीब व्यक्ति है जिसकी आजीविका का प्रश्न इस मामले से जुड़ा है। अतः इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. इनके मामले मे सहानुभूतिपूर्वक विचार करे यदि अभ्यावेदक द्वारा किसी तरह की लापरवाही की गई है तो मानवीय दृष्टिकोण से देखते हुये एक बार इन्हे चेतावनी दी जाय। सामान्य तौर पर प्रशिक्षण, जागरूकता और शिक्षा की कमी के कारण इस तरह की लापरवाही संभव है, अतः इस मामले मे उनकी आजीविका और भविष्य को देखते हुये उनकी डीलरशिप पुनः बहाल की जानी चाहिए।

ii. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. अभ्यावेदक द्वारा जमा की गई कुल 7,50,000 रुपयेकी राशि उस समय से लेकर अब तक के ब्याज जोड़ कर अभ्यावेदक को 15 दिन के अन्दर वापस करे।

iii. इस संबंध मे इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. अपने अपीलीय अधिकारी निदेशक (अनुसंधान एवं विकास) को इस संबंध मे दिनांक 05.06.2018 के पूर्व आयोग की अनुशंसा की सूचना प्रेषित करें।

आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुपालन के संबंध मे अनुपालन रिपोर्ट/अन्तरिम रिपोर्ट आयोग को 30 दिन के अंदर भिजवाई जाय।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- PSP/10/2017/MPNG1/SEOTH/RU-I)

श्री प्रमोद सिंह पोर्ते का अनुसूचित जनजाति वर्ग मे प्राप्त इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. की डीलरशिप निरस्त करने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 29.05.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्रीआर. एस. मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के अधिकारी

1. श्री विज्ञान कुमार, मुख्य महाप्रबंधक,
2. श्री पदम पांडे, (रिटेल सेल), महाप्रबंधक

अभ्यावेदक

1. श्री प्रमोद सिंह पोर्ते